न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3243 /विधि सहरसा, दिनांक 07-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-54/2021 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-22/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-05 पृ0 एवं अन्य कागजात कुल-96पृ0) कुल-101 पन्ना मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- श्रीमती अनिता कुमारी, पति-रंजीत कुमार / अंजू कुमारी, सा0-ईटहरी, वार्ड नं0-15, हरदी, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

07/11/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

के लिए था। जिस कारण विपक्षी अंजू कुमारी का चयन सहायिका पद हेतु आमसभा द्वारा किया गया।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 06.07.2020 को औपबंधिक मेधासूची प्रकाशित किया गया। मेधा सूची के क्रमांक 01 पर आवेदिका का नाम दर्ज है अंक 71.83 प्रतिशत है मेधा सूची के क्रमांक 02 पर विपक्षी अंजू कुमारी का अंक 46.82 प्रतिशत दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल अपने आवेदन पत्र में अष्टम उत्तीर्ण का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड नहीं की गयी। दाखिल अंक पत्र भी सुस्पष्ट नहीं है कि किस

अनुसूची ७४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

....तक

...........................से..

...., सन् १९..................

आदेश पत्रक - ता०..

...., सं०.......................

जिला..

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	(see below)	

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपील वाद संख्या-54[illegible]/2021

अनिता कुमारी.................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य....................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद श्रीमती अनिता कुमारी, पति-रंजीत कुमार, सा0-ईटहरी, वार्ड नं0-15, हरदी, जिला-सुपौल द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में वाद सं0-22/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसके द्वारा सुपौल जिला के बाल विकास परियोजना, सुपौल के ग्राम पंचायत हरदी पश्चिम वार्ड सं0-15 आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-217 के सहायिका पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त केन्द्र को पिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया गया। उक्त के आलोक में अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। अपीलार्थी अनुसूचित जाति वर्ग की है एवं विपक्षी अंजू कुमारी पिछड़ा वर्ग की है एवं विज्ञापन भी पिछड़ा वर्ग के लिए था। जिस कारण विपक्षी अंजू कुमारी का चयन सहायिका पद हेतु आमसभा द्वारा किया गया।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि दिनांक 06.07.2020 को औपबंधिक मेधासूची प्रकाशित किया गया। मेधा सूची के क्रमांक 01 पर आवेदिका का नाम दर्ज है अंक 71.83 प्रतिशत है मेधा सूची के क्रमांक 02 पर विपक्षी अंजू कुमारी का अंक 46.82 प्रतिशत दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल अपने आवेदन पत्र में अष्टम उत्तीर्ण का शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड नहीं की गयी। दाखिल अंक पत्र भी सुस्पष्ट नहीं है कि किस

विद्यालय से किस प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरित एवं प्रमाणित है।

विभागीय मार्गदर्शिका-2019 के आलोक में आँगनबाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के विधवा अभ्यर्थी को चयन करने का प्रावधान है। इनमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने पर मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन करना चाहिए, लेकिन नियम का अनदेखी करते हुए चयन समिति द्वारा विपक्षी अंजू कुमारी का चयन सहायिका पद पर कर दिया गया जबकि मेरा अंक 71.83 प्रतिशत और विपक्षी का अंक 46.82 प्रतिशत है एवं आवेदिका अनुसूचित जाति/समुदाय से आती है, जिसमें सर्वोच्च अंक प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थी को दरकिनार करके महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मिलीभगत एवं प्रभावित होकर विपक्षी श्रीमती अंजू कुमारी, पति-मुकेश कुमार यादव का चयन सहायिका पद पर गलत है एवं खारिज योग्य है।

विपक्षी द्वारा अपना लिखित जबाव दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि वार्ड सं0-15 हरदी पश्चिम केन्द्र सं0-217 पिछड़ा वर्ग बाहुल्य हैं विभागीय मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका-04 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि आँगनबाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति / जनजाति /अत्यन्त वर्ग /पिछड़ा/सामान्य के विधवा उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। इसमें से किसी भी अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने पर बाहुल्य वर्ग के मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। आवेदिका अनुसूचित जाति समुदाय वर्ग से आती है लेकिन आँगनबाड़ी केन्द सं0-217 पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। इसी आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(ICDS), सुपौल के द्वारा भी आवेदिका द्वारा दाखिल वाद को खारिज किया गया है जो बिल्कुल नियमानुसार एवं न्यायसंगत है एवं इस न्यायालय में भी खारिज योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य / कागजातों के परिशीलनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि श्रीमती अंजू कुमारी का चयन नियमानुसार किया गया है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी-सह-द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, सुपौल का आदेश यथावत रखते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से

प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।